

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

फर्त अहकाम  
(नियम 26)

जुहरू बनाम मन्जीत वगैरे

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज  
चाद - धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
चाद पत्र संख्या 22 वर्ष 2024

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तारीख में जारी हुए

गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वारते तलवी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए0डी0 के कोर्ट नोटिस तलवाने पेश करें। पत्रावली 20-03-2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (खैरथल-तिजारा)

20/3/24  
आज पत्रावली पेश हुई। उपस्थित।  
पत्रावली पूर्व अपेशिकागुलार वास्ते तलवी  
में दिनांक 12/4/24 को पेश हो।  
उपखण्ड अधिकारी

12/4/24  
आज पत्रावली पेश हुई। उपस्थित।  
पत्रावली पूर्व अपेशिकागुलार वास्ते तलवी  
में दिनांक 21/5/24 को पेश हो।  
उपखण्ड अधिकारी

21/5/24  
आज पत्रावली पेश हुई। उपस्थित।  
पत्रावली पूर्व अपेशिकागुलार वास्ते तलवी  
में दिनांक 05/8/24 को पेश हो।  
उपखण्ड अधिकारी

05/8/24  
आज पत्रावली पेश हुई। उपस्थित।  
पत्रावली पूर्व अपेशिकागुलार वास्ते तलवी  
में दिनांक 12/8/24 को पेश हो।  
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी तिजारा

12/8/24  
आज पत्रावली पेश हुई। उपस्थित।  
बार-बार अपेशिकागुलार वास्ते तलवी  
अनुपस्थित। भती वास्ते तलवी अहम पेश  
में खासिय किबा अपेशिकागुलार वास्ते तलवी  
तकमील नम्बर से कम हिनर दाखल फिलहाल हो।  
उपखण्ड अधिकारी तिजारा

उपखण्ड अधिकारी तिजारा  
जिला खैरथल-तिजारा राज0

